



छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) - 492001

दूरभाष नंबर :- 0771-4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in

Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक/3089/ रेरा/2024/

रायपुर, दिनांक // /10/2024

// परिपत्र //

विषय:- अनुमोदित परियोजनाओं के क्रय-विक्रय में निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध तथा विक्रय पत्र में विवरण उल्लेखित किए जाने हेतु निर्देश।

—00—

भू-संपदा(विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के प्रावधानानुसार पंजीयन उपरांत संप्रवर्तक द्वारा आबंटितियों को भूखण्ड/भवन/अपार्टमेंट विक्रय किया जाता है। प्राधिकरण के समक्ष विभिन्न प्रकरणों में यह संज्ञान में आया है कि अपार्टमेंट/भवन के विक्रय हेतु उपलब्ध कराये जाने वाली सूचनाओं में संप्रवर्तक द्वारा कारपेट ऐरिया/फर्श क्षेत्र के अतिरिक्त सुपर बिल्टअप/बिल्टअप ऐरिया जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रचार-प्रसार एवं विक्रय किया जा रहा है। अधिनियम में सुपर बिल्टअप/बिल्टअप ऐरिया जैसे शब्द प्रावधानित नहीं है। अधिनियम की धारा-2(k) में इस हेतु कारपेट ऐरिया(फर्श क्षेत्र) शब्द का प्रयोग करते हुए इसे परिभाषित किया गया है तथा जिसके अनुरूप विधिक दस्तावेज में उल्लेख किया जाना चाहिए। अतः उक्त संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:-

01. किसी अपार्टमेंट/भवन के विक्रय करने के संबंध में जारी प्रचार सामाग्रियों, ब्रोशर, विज्ञापनों एवं निष्पादित किए जाने वाले विधिक दस्तावेजों यथा विक्रय के लिए करार, विक्रय पत्र आदि में विक्रय किए जाने वाले भवन/अपार्टमेंट की निम्न जानकारी प्रदर्शित किया जावे:-
 - (क) कारपेट ऐरिया/फर्श क्षेत्र-विक्रय योग्य कारपेट ऐरिया/फर्श क्षेत्रफल तथा कीमत की जानकारी।
 - (ख) कारपेट ऐरिया के अतिरिक्त Exclusive Balcony, Verandah, खुला टेरेस आदि के कीमत की जानकारी (अगर पृथक से कीमत ली जा रही हो, तो)।सभी प्रकार के उपबंधों, पत्राचार, विज्ञापन (ब्रोशर/पाम्पलेट/वेबसाइट/डिजिटल मीडिया/इत्यादि) में कारपेट ऐरिया एवं उक्त नियम/निबंधन के पैरा-1.2 के अनुरूप ही उल्लेख किया जावे।

उक्त निर्देश सभी परियोजनाओं पर लागू होगा।
(मान. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

(अरुण कुमार वर्मा)

रजिस्ट्रार

छ.ग. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, रायपुर
रायपुर, दिनांक /10/2024

पृ.क्रमांक/ / रेरा/2024/

प्रतिलिपि:- (01)निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छ.ग. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण,(रेरा), रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
(02) सर्व शाखा प्रमुख, छ.ग. रेरा रायपुर की ओर सूचनार्थ।

(अरुण कुमार वर्मा)

रजिस्ट्रार

छ.ग. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, रायपुर